

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

६०-खिलारगंज विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

खिलारगंज विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

में, परमजीत सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी गुरुवतल सिंह

आयु 410 वर्ष, जो 25.11.1951 का/की निवासी हूँ और उपरोक्त
निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन
करता हूँ/करती हूँ -

1. मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप
विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा/करेगी)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 21-21
(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य १०
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 22-23
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई 24-25
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गए थे 26-27
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई
है/हैं 28-29

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की
उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध
(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या
अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है 21-22
(iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य १०
(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का
संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है 23-24
(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे 25-26
(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं 27-28

स्थान : खिलारगंज
तारीख : 20-6-2012

परमजीत सिंह
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

